फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

दी–घासीलाल

प्रतिवादी–तहसीलदार फागी

स संख्या : 06 / 2018 **वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	22.05.2018	**—:निर्णय:—** आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उप0। तहसीलदार फागी की ओर से पैरोकार राज0 उप0। तहसीलदार फागी ने पूर्व में जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया है। वकील वादी ने निवेदन किया कि वादी खसरा नंबर 373 रकबा 59 बीघा 03 बिस्वा ग्राम डिडावता, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार है। आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम घासीलाल शर्मा पुत्र गौरीलाल शर्मा दर्ज रिकॉर्ड है जबकि वादी गौरीलाल शर्मा का दत्तक पुत्र है। इस कारण वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में घासीलाल पुत्र गौरीलाल के स्थान पर घासीलाल शर्मा दत्तक पुत्र गौरीलाल शर्मा दर्ज किया जावे। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति गजट नोटिफिकेशन दिनांक 01.12.2017, फोटोप्रति ग्राम पंचायत डिडावता वारिसनामा प्रमाण पत्र दिनांक 18.11.14, शपथ पत्र घासीलाल दत्तक पुत्र गौरीलाल, रामावतार शर्मा पुत्र घासीलाल शर्मा, कमल भारद्वाज पुत्र घासीलाल शर्मा इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत डिडावता साबित पाया जाता है कि वादी घासीलाल शर्मा का दत्तक पुत्र है। गवाह रामावतार शर्मा पुत्र घासीलाल शर्मा, कमल भारद्वाज पुत्र घासीलाल शर्मा ने अपने शपथ पत्रो में घासीलाल शर्मा पुत्र गौरीलाल शर्मा एवं घासीलाल शर्मा दत्तक पुत्र गौरीलाल शर्मा दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन पश्चात वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 373 रकबा 59 बीघा 03 बिस्वा ग्राम डिडावता, तहसील फागी, जिला जयपुर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज घासीलाल पुत्र गौरीलाल को हजफ किया जाकर इसके स्थान पर घासीलाल शर्मा दत्तक पुत्र गौरीलाल शर्मा दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट परवण में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी फागी	

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला–जयपुर

Scanned by CamScanner